न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)**
राजस्व मूल वाद संख्या :– 31/2018
जीसीएमएस नंबरः– 2022/31

वादीगण :–

1. खींयाराम उर्फ खींवराज पुत्र स्व. श्री गुमानाराम जी,
2. राजूराम पुत्र स्व. श्री जसूराम जी (जसूराम पुत्र स्व. गुमानाराम जी)
3. गहरी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री जसूराम जी,
4. गंगाराम पुत्र स्व. श्री मदनलाल जी(मदनलाल पुत्र स्व. गुमानाराम जी)
5. मकली देवी धर्मपत्नी स्व. श्री मदनलाल

जातियान सुथार निवासीयान थबूकड़ा तह. व जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

01. धोकलराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट
02. नैनाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट
03. चौथाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट
04. खींयाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट

<u>वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

आदेश **दिनांक :–** 02/05/2025

<u>उपस्थिति :–</u>

1. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, मोहन सागर अधिवक्तागण वादीगण।
2. प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

वादी की और से एक वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम थबूकड़ा में वादीगण की सह खातेदारी का एक खेत खसरा नंबर 490 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा का स्थित है, जिसके वादीगण सहखातेदार है तथा उक्त भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा है। वादीगण के खेत के पूर्व दिशा की तरफ खेत खसरा सं. 485 प्रतिवादीगण का आया हुआ है। प्रतिवादीगण ने गलत एवं गैरकानूनी तरीके से वादीगण की खातेदी की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर 26 अगस्त 2015 को कब्जा करते हुए तारबंदी कर दी। इस संबंध में वादीगण ने पैमाईश करवाई तो भी यह स्पष्ट हुआ कि खसरा सं. 490 की भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण है। पैमाईश होने के बाद

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

काफी समय तक प्रतिवादीगण, वादीगण को यह आश्वासन देते रहे कि वे उक्त खेतपर से कब्जा हटा कर वादीगण की भूमि पुनः वादीगण को सुपुर्द कर देंगे लेकिन आश्वासन देते देते आखिर दिनांक 06.05.2018 को प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से इन्कार कर दिया तथा लड़ाई–झगड़ा पर आमादा हो गए। प्रतिवादीगण ने वादीगण के खेत खसरा सं. 490 की जिस भूमि पर अतिक्रमण किया, उसे संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है। अतः डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि ग्राम थबूकड़ा के खसरा सं. 490 की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसे संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है का कब्जा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। तारीख दावा से कब्जा प्राप्त होने तक 12,500 रूपये प्रतिमाह से हर्जाना वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् भविष्य में कभी भी वादीगण के कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी तरह की दखल अंदाजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो स्वयं करे न ही अपने आदमी ऐजेंटों से करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल होने के उपरान्त उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक 27.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः तनकियात की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वादीगण की और से मौखिक साक्ष्य में वादी खींयाराम उर्फ खींवराज का साक्ष्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रर्दश 1 से प्रदर्श 3 प्रस्तुत किए।

बहस वादीगण अधिवक्ता द्वारा की गयी। बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम थबूकड़ा वादीगण की सहखातेदारी का एक खेत खसरा सं. 490 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वाबतौरसहखातेदारदर्जहै। खेत खसरा सं. 490 के पूर्व दिशा की तरफ खेत खसरा सं. 485 प्रतिवादीगण का आया हुआ है प्रतिवादीगण ने गैरकानूनी तरीके से वादीगण की खातेदारी की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर तारबंदी की हुई है। इस संबंध में तहसीलदार जोधपुर की पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.12.2023 से व उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए वादीगण को उसके हक की जमीन पर कब्जा दिलाया जाना न्याय संगत है। उक्त तथ्यों के संबध में वादी द्वारा साक्ष्य सपथपत्र पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद, दस्तावेज, साक्ष्य शपथ पत्र एवं वादीगण अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं बहस के दौरान दिये गये तर्को का अध्ययन कर मनन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 के अवलोकन से ये तो प्रमाणित है कि विवादित खसरान् में वादीगण रिकोर्ड डखातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

दर्ज है। खेत खसरा सं. 490 के पूर्व दिशा की तरफ खेत खसरा सं. 485 प्रतिवादीगण का आया हुआ है। पत्रवली में संलग्न पेमाईश रिपोर्ट दिनांक 26.12.2014 के संलग्न नजरी नक्शे अनुसार आराजी भूमि की पूर्वी माठ पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया होना प्रतीत होता है। वादी खींयाराम उर्फ खींवराज ने साक्ष्य शपथ द्वारा बताया कि दिनांक 26.08.2015 से प्रतिवादीगण द्वारा आराजी भूमि पर तारबंदी की हुई है। जिसके संबंध में प्रदर्श 1 से 3 संलग्नहै।

अतः वादीगण का वाद आंशिक रुप से स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि खसरा नंबर 490 वाके ग्राम थबूकड़ा पटवार हल्का लोरड़ी पंडितजी, तहसील जोधपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही में उक्त आराजी भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण/कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(प्रीतम कुमार) आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उप खण्डअधिकारी
(उत्तर)जोधपुर

निर्णय दिनांक 22/05/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्डअधिकारी
(उत्तर)जोधपुर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 21 रूल 3, 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर**
मुकाम जोधपुर व इजलास **प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)**
राजस्व मूल वाद संख्या :– 31/2018
जीसीएमएस नंबरः– 2022/31

वादीगण :–

1. खींयाराम उर्फ खींवराज पुत्र स्व. श्री गुमानाराम जी,
2. राजूराम पुत्र स्व. श्री जसूराम जी (जसूराम पुत्र स्व. गुमानाराम जी)
3. गहरी देवी धर्मपत्नी स्व. श्री जसूराम जी,
4. गंगाराम पुत्र स्व. श्री मदनलाल जी(मदनलाल पुत्र स्व. गुमानाराम जी)
5. मकली देवी धर्मपत्नी स्व. श्री मदनलाल
   जातियान सुथार निवासीयान थबूकड़ा तह. व जिला जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

01. धोकलराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट
02. नैनाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट
03. चौथाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट
04. खींयाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट

दावा बाबत् 183, 188 आर.टी.एक्ट. में मुकदमा नम्बर 31/2018 यह मुकदमा वास्ते इनकिलास कतई रूबरू वादीगण अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित हाजीर पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः–

खसरा नंबर 490 वाके ग्राम थबूकड़ा पटवार हल्का लोरड़ी पंडितजी, तहसील जोधपुर का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही में उक्त आराजी भूमि पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण/कब्जा पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जावे।

लीज....x......मुबलिक......x.....बाबत्.....x....खर्चा इस मुकदमें के मय सुद वगैरह.........x....की सदी सलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.......x........को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत आज तारीख.......................... की जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा अह्वान् बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकिल फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरिक		

नोट– इस खर्च के फार्म हर दी फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
(उत्तर) जोधपुर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जोधपुर